न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल

एन0डी0पी0एस0–61 / 2025

वीरपुर थाना काण्ड संख्या– 114 / 2025

[I.A – 01/2025]

सुजन राय पे0 रणबहादुर राय
सा0– अमाहा, सिमसार गुरून्तल वार्ड नं0 04, थाना– महेन्द्रगढ़ भरौली प्रहरी चौकी जिला–सुनसरी (नेपाल)..आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार..विपक्षी

13 / 10 / 25

काराधीन अभियुक्त सुजन राय की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त को ग्रामीण राजनिति के तहत् मनगढ़न्त तरीके से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त दैनिक मजदूर हैं तथा मजदुरी कर परिवार का भरण–पोषण करता है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 21(b), 22(c)/29 N.D.P.S Act के तहत् लगाया गया आरोप नहीं बनता है। प्रार्थी अभियुक्त के पास से कोई नशीली दवाई बरामद नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त नशीली दवाई का खरीद ब्रिकी नहीं करता है और न ही सेवन करता है बल्कि मजदूरी करके जीवन यापन करता है। प्रार्थी अभियुक्त का कहना है कि वह अपने रिश्तेदार के यहां से वापस जा रहा था पुलिस के द्वारा झूठा मुकदमा में पकड़ कर जेल भेज दिया। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 05 / 04 / 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा वह न्यायालय का हर शर्त मानने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन किया गया।

विद्वान विशेष अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

प्रस्तुत वाद सूचक विजय कुमार 45वीं वाहिनी स0सी0ब0 सुपौल के लिखित आवेदन के आधार पर धारा 21(b), 22(c)/29 N.D.P.S Act 1985 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचक का कथन है दिनांक 04/04/25 को समय लगभग 1800 बजे उसे गुप्त सूत्रों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि समय 19.30 से 20.30 बजे के बिच नशीली दवाई की तस्करी जी–समवाय रिफ्यूजी कालोनी के अधिकार क्षेत्र बेनाली पट्टी गाँव के रामजानकी मन्दिर के नजदीक सीमा स्तम्भ 201 के नजदीक से होने वाली है। सूचना प्राप्त होते ही उसने सूचना की संज्ञानता में लेते हुए एक विशेष नाका दल का गठन किया जिसका कमांडर वह खुद था। इस विशेष नाका दल में उसे और अन्य 03 जवान को शामिल किया गया, तत्पश्चात दिनांक 04/04/25 को समय लगभग 19.00 बजे विशेष नाका दल मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच कर छुपावदार जगह पर छुपकर इंतजार करने लगे, समय लगभग 1930 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति मोटर साइकिल से आते हुए दिखाई दिया। जैसे ही वह संदिग्ध व्यक्ति विशेष नाका दल के पास पंहुचा तो नाका दल के द्वारा उसे घेरे में लिया गया, पूछने पर उन्होंने अपना नाम सुजन राय, उम्र–27 वर्ष, पिता रणबहादुर राय, गांव गुरुन्तल वार्ड नं–2004. थाना महेंद्रगढ़, जिला–सुनसरी, (नेपाल) बताया। इसके उपरांत पकड़े गए व्यक्ति से पूछा गया कि आपके पास नशीली दवाई होने की सूचना हमें मिली है, हम आपकी तलाशी लेना चाहते हैं, आप अपनी तलाशी हमारे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को देना चाहते हैं। पकड़े गए व्यक्ति द्वारा हमारे राजपत्रित अधिकारी से तलाशी के लिए सहमति दी गई, तलपश्चात श्री जगत्तर सिंह (सहायक कमांडेंट) को इसकी सूचना दी गयी। तदोपरांत श्री जगतर सिंह सहायक कमांडेंट, घटना स्थल पर समय 2005 बजे पहुंचकर उक्त व्यक्ति को उनके द्वारा NDPS ACT 1985 धारा 50 के तहत एक नोटिस जारी कर अपनी तलाशी देने को कहा। इसके बाद दोनों गवाह 1. वि.प.सं. 10170605, आरक्षी/सा. रविरंजन प्रियदर्शी 2. वि.प.सं.

लगा

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल

एन0डी0पी0एस0–61/2025

वीरपुर थाना काण्ड संख्या– 114/2025

[I.A – 01/2025]

13/10/25
लगातार

13281008, आरक्षी/सा. संचिद्र कुमार थे सर्वप्रथम पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी दल की तलाशी लेने को कहा गया परन्तु उसके द्वारा तलाशी लेने से मना किया गया तत्पश्चात दोनों गवाहों–के सामने पकडे गए व्यक्ति की तलाशी ली गयी जिसमे उसके मोटर साइकिल की सामनेवाली पेट्रोल की टंकी पर काले रंग की प्लास्टिक बरामद की गयी उसे खोलने को कहा गया तो उसके अंदर 1- Tramadol Hydrochloride Capsules IP–480 नग, 2- Codeine Phosphate & Triprolidine Hydrochloride Syrup (Eskuf½–10 नग, बरामद की गयी। बरामद नशीली दवाई को एक सफेद रंग के कपड़े में सील करें दोनों गवाह के सामने पकडे गए सामान की विधिवत जप्तीसूची बनाकर जप्ती सूचि एवं कपडे की सील बंद बोरी पर उसने और दोनो स्वतंत्र गवाहों ने हस्ताक्षर किये तथा पकड़े गये व्यक्ति एवं सीजिंग अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। दोनो गवाहों की उपस्थिति में पकड़े गये व्यक्ति, जब्त किये गये नशीली दवाई Bajaj Pulsar 220 CC मोटरसाईकिल नंबर बा–79 प–7951, che.No- MD2A13EZOGCF26872 Eng No- DKZCGF44239 को अग्रिम कार्रवाई हेतु दिनांक 05/04/2025 समय 00.40 बजे सुपर्दु किया जाता है।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी ने अपने पुनः बयान कंडिका 08 एवं साक्षियों ने अपने–अपने बयानों में 9, 10 एवं 11 में प्राथमिकी व घटना का समर्थन किया है। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा उसके पास से कोई नशीली दवाई बरामद नहीं है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित किया गया है। कांड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है तथा वह दिनांक 05/04/2025 से काफी लंबे समय लगभग 6 महिने से ज्यादा अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कारा में बिताई गयी लंबी अवधि को देखते हुए उसकी ओर से दाखिल **जमानत आवेदन स्वीकृत** किया जाता है। तदनुसार प्रार्थी अभियुक्त सुजन राय को न्यायालय के संतुष्टिकारक मो0 10,000/– रूपये के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी अभियुक्त प्रत्येक निर्धारित तिथि को सदेह उपस्थित रहेंगे।

लेखापित

(दिलीप कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय–सह
विशेष न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0,
सुपौल